तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ...
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा भागीरथ चौहान बनाम लादु माली विविध-प्रार्थना पत्र नं- 81/2017	

04.01.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार नियत सुनवाई पर उपस्थित। विचारणीय प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 913 रकबा 04–18 बीघा में से इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से नवीन रास्ता चाहा गया है। प्रार्थनापत्र से संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 में अंकित विवादित आराजी संख्या 913 रकबा 04–18 बीघा संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी ने इस प्रार्थनापत्र में केवल मात्र विपक्षी क्रम 01 को ही पक्षकार के रूप में संयोजित किया है जबकि विपक्षी क्रम 01 के अतिरिक्त एक अन्य खातेदार श्री अमरचन्द पिता श्रीराम तेली निवासी दुदला को भी इस प्रार्थनापत्र में बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित था। इस प्रकार प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष दोषपूर्ण/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र में अपेक्षित पक्षकार/खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधिसम्वत नही होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र, प्रार्थी द्वारा गलत/भूलयुक्त प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

बनेडा जिला भीलवाडा